


२४.२.२५

पत्रावली आज वादी। वादी वकील ने जो. पत्र पर लम्ब की गयी। उक्त पत्र में मूज साका नोट-प्रेस में खारिज किया जा चुका है इसलिये २१२ RTA जो. पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः जो. पत्र २१२ RTA को भी नोट-प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक शुमार होकर साखिअ सतार हो।


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

not mess

२४/०२/२५
रामगढ (अलवर)